

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 616]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025 — श्रावण 16, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15-11/15-02/2025/32/1934.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-11/15-02/2025/32/1112 दिनांक 02.04.2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत “प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025” के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची-एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05-(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला जशपुर के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची-एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए “कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक-बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन-492002” में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। लिफाफे के ऊपर “जिला जशपुर की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति” अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, “जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025” की अनुसूची-एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :- अनुसूची-एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला— जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना—2025

अनुसूची—एक

संबद्ध बैंक : छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नवा रायपुर

क्रमांक	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है। (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
निरंक			

जिला- जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना 2025

अनुसूची – दो

संबद्ध बैंक : छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नवा रायपुर

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	आ0जा0 सेवा सह0 समिति मर्या0 पत्थलगांव, प.क्र. 233	पंगसुवा	पंगसुवा, पाकरगांव, तुरुवाआमा, झक्कड़पुर, मुड़ापारा
		गाला	डुडुंगजोर, गाला, बुढाडांड, शिवपुर
2	आ0जा0 सेवा सह0 समिति मर्या0 लुडेग प.क्र. 96	काडरो	काडरो, बंधनपुर, खाडामाचा, हल्दीझरिया, कुकुरगांव, बिरीमडेगा, बगईझरिया, छातासराई, महेशपुर, मुड़ाबहला
		डुमरबहार	डुमरबहार, बिलडेगी, सराईटोला, शेखरपुर, बनगांव बी, लोकेर
3	आ0जा0 सेवा सह0 समिति मर्या0 कोतबा प.क्र. 93	जामझोर	जामझोर, खूंटापानी, झिमकी, कोकियाखार, मधुवन, आमाटोली
		सुरंगपानी	सुरंगपानी, करबैंवरा, पीठाआमा
4	आ0जा0 सेवा सह0 समिति मर्या0 कोनपारा प.क्र. 128	गंझियाडीह	गंझियाडीह, औरीजोर, अम्बाकछार, टाकमुण्डा, कुम्हारबहार, डुमरिया, डोंगादरहा, महुवाडीह, कोल्हेनझरिया, जामटोली, हाथीबेड, माटीपहाड़छर्चा, कुल्हाड़बुड़ा, जोरंडाझरिया, खुटसेरा, दलेसर, डागबन्धी, तेलाईन
5	आ0जा0 सेवा सह0 समिति मर्या0 तपकरा प.क्र. 214	फरसाबहार	फरसाबहार, हेटघींचा, उपरघींचा, खुटगांव, औरीजोर, बनगांव, धौरासांड, पण्डरीपानी, सहसपुर, बोखी, सीमाबारी, तुबा
		भगोरा	भगोरा, कन्दईबहार, मेण्डरबहार, पगुराबहार, गारीघाट, सिकिरमा
		समडमा	समडमा, लवाकेरा, बांसाझाल

6	आ०जा० सेवा सह० समिति मर्या० बगीचा प.क्र. 293	रेंगले	रेंगले, कुटमा, पत्ताकेला, सुतरी, बेंद, भितघरा, राजपुर (वनग्राम), गुरम्हाकोना, बेतरा
7	आ०जा० सेवा सह० समिति मर्या० कुर्रोग प.क्र. 827	साहीडांड	साहीडांड, गायलूंगा, रमसमा, पण्डरीपानी, बुटंगा, रंगपुर (वनग्राम), कुडराटेपना (वनग्राम), डुमरपानी (वनग्राम), कलिया, बच्छरांव, रनपुर, कुरुमढोढा, सरबकोम्बो, कुहापानी, जामपानी, करमा, डोंडराही, ताम्बाकछार, जबला, कुदमुरा
8	आ०जा० सेवा सह० समिति मर्या० कांसाबेल प.क्र. 207	बटईकेला	बटईकेला, नकबार, कोडलिया, बैगाअम्बा, साजापानी, खुटेरा, सागीभावना, केनाडांड, खारपानी
		चेटबा	चेटबा, खुटीटोली, सूजीबहार, दुढरुडांड, नरियरडांड
9	आ०जा० सेवा सह० समिति मर्या० चोंगरीबहार प.क्र. 127	शब्दमुण्डा	बरजोर, शब्दमुण्डा, तिलंगा, सेमरकछार, कोटानपानी, नक्टीमुण्डा, हथगड़ा
10	आ०जा० सेवा सह० समिति मर्या० दुलदुला प.क्र. 148	करडेगा	मयुरचून्दी, केन्दापानी, सिमड़ा, गट्टीबुडा, गोड़अम्बा, करडेगा, मकरीबंधा, सपघरा
		कस्तुरा	चांपाटोली, बरपानी, लोरो, कस्तुरा, जामपानी, रायडीह, जामटोली, झरगांवा, विपतपुर
11	आ०जा० सेवा सह० समिति मर्या० मनोरा प.क्र. 121	सोनक्यारी	सोनक्यारी, तालासिली, पंडरसिली, रेमने, अलोरी, पटिया, ओरकेला, गीधा, करडीह
12	आ०जा० सेवा सह० समिति मर्या० कुनकुरी प.क्र. 128	गोरिया	बेहराखार, चराईखारा, रजौटी, पकरीकछार, गोरिया, हराडांड, हेठकापा, जाकबहला, कलिबा, कुरकुंगा, लोढाअम्बा
		बासनताला	बासनताला, भेलवांटोली, खरवाटोली, जोरातराई

जिला— जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना—2025

अनुसूची—तीन

संबद्ध बैंक : छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नवा रायपुर

क्रमांक	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है। (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है।
1	2	3	4	5
1	निरंक			